न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 1/2018 जिला दौसा।

1. फूलमती पत्नि हनुमान प्रसाद
2. अनिता पत्नि अजय

समस्त जाति मीना, निवासीगण– तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)
2. सीताराम पुत्र रतन लाल, जाति मीना, निवासी कल्याणपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.12..2017 उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजकुमार शर्मा
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 09.02.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.12.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलार्थी फूलवती एवं अनिता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 दुरूस्ती इन्द्राज तरमीन नक्शा बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थिया फूलमती व अनिता तथा अप्रार्थी संख्या 2 सीताराम के नाम सहखातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 297/179 रकबा 5 बीघा वाके ग्रम बाढकल्याणपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित है। जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 संलग्न् की है। उक्त राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में राजस्व एजेन्सी से साज कर मनमुताबिक अवैध तरमीम की गई है, जबकि मौका स्थिति व हिस्से अनुसार तरमीम नक्शा शीट में नहीं की गई है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 2 हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। राजस्व ऐजेन्सी द्वारा मौके पर काबिज अनुसार तरमीम न कर मनमुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकित रकबे से भी कम भाग की नक्शा ट्रेस में अवैध तरमीम की है। प्रार्थिया द्वारा विवादित आराजी का पूर्व में करवाये गये सीमाज्ञान पर पडौसी खातेदारों द्वारा ऐतराज किये जाने व रकबे के अनुसार पूर्व में की गई तरमीम सही नहीं होने के कारण वास्तविक स्थिति मौका व नक्शा शीट में अंकित तरमीम भिन्न है जिसके कारण दिनांक 28.8.2016 को विवाद उत्पन्न होने से राजस्व रिकार्ड के रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस में पुनः तरमीम दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। अतः विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस में पूर्व तरमीम को विलोपित कर उसके स्थान पर मौके व रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की।
2. अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2017 के द्वारा राजस्व नक्शे के मुताबिक प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 297/179 के तीन तरफ सडक व नाला विद्यमान होने तथा चौथी ओर खातेदारी भूमि विद्यमान होने तथा पटवारी हल्का द्वारा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि सिवायचक रिकार्ड मे दर्ज होना बताया तथा मौके पर भी 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि उपलब्ध होने तथा तहसीलदार लालसोट की रिर्पोट दिनांक 30.11.2017 के मुताबिक खसरा नम्बर 179 कुल रकबा 99 बीघा 14 बिस्वा में से 91 बीघा 1 बिस्वा भूमि 41 आवंटियों को आवंटित हुई और शेष भूमि 8 बीघा 13 बिस्वा सिवायचक भूमि रिकार्ड व मौके पर विद्यमान है। प्रकरण में यदि प्रार्थीगण की 1 बीघा भूमि पडौस के खसरा नम्बर में मिल जाती है तो न्यायालय प्रकरण में अधिक भूमि को प्रार्थीगण को देने पर विचार कर सकता है। प्रकरण में अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने का भार प्रार्थीगण का

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

था। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असमर्थ रहने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2017 से व्यथित होकर अपीलार्थियान द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी लालसोट निरस्त किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 297/179 रकबा 5 बीघा वाके ग्रम बाढ कल्याणपुरा स्थिति कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस में पूर्व तरमीम को विलोपित कर उसके स्थान पर मौके व रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम का अंकन किये जाने का आदेश प्रदान करने एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश फरमाने की प्रार्थना की ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 297/179 रकबा 5 बीघा वाके ग्रम बाढ कल्याणपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा के अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष अपील का जवाब पेश कर कब्जा एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार तरमीम किए जाने में आपत्ति व्यक्त की थी तथा भूमि अभिधारी ने भी अपनी रिपोर्ट में राजस्व नक्शे की तरमीम को दुरूस्त किये जाने का अंकन किया था जिसकी ताईद में अपीलान्ट द्वारा जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का गलत विवेचन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जॉच हेतु तहसीलदार को निर्देश दिये थे जिस पर तहसीलदार ने पटवारी से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नम्बर 297/179 का रकबा जमाबन्दी में 5 बीघा दर्ज है, जबकि उक्त खसरा नम्बर की राजस्व नक्शे में जो तरमीम हो रही है उसकी रकबा बरारी करने पर लगभग 4 बीघा ही है। जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो रही है इसलिये राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। इसी अनुसार तहसीलदार ने भी नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने की रिपोर्ट की है। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट चाही की मौके पर किनकी ओर खातेदारी है जिस पर तहसीलदार ने रिपोर्ट प्रेषित की कि उक्त खसरा नम्बरान के पश्चिम दिशा में कोई तरमीम नहीं हो रही है एवं 8 बीघा 13 बिस्वा जमीन सिवायचक मौजूद है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने तरमीम को दुरूस्त करने के निवेदन के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने 1 बीघा भूमि देने पर सहमति भी दर्शायी अर्थात अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र की पूर्णतः ताईद की थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक दस्तावेजों का कारण सहित तार्किक विवेचन करते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय बिना तार्किक विवेचन के पारित किया है, जो स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी लालसोट निरस्त किया जावे तथा आराजी खसरा नम्बर 297/179 रकबा 5 बीघा वाके ग्रम बाढ कल्याणपुरा स्थिति कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस में पूर्व तरमीम को विलोपित कर उसके स्थान पर मौके व रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश प्रदान किया जावे ।

6. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रकरण में ग्रम बाढकल्याणपुरा की जमाबन्दी संवत 2063–2066 के अनुसार खसरा नमबर 297/179 रकबा 5 बीघा दर्ज है, लेकिन उक्त खसरा नम्बर के राजस्व नक्शे में जो तरमीम हो रही है उसकी रकबा बरारी करने पर लगभग 4 बीघा भूमि ही बनती है। पक्षकारान के मध्य विवाद जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने के संबंध में है। अपीलार्थी प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2017 से राजस्व नक्शे के मुताबिक प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 297/179 के तीन तरफ सडक व नाला विद्यमान होने, चौथी ओर खातेदारी भूमि विद्यमान होने, पटवारी तरमीम द्वारा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि सिवायचक रिकार्ड मे दर्ज होना बताया, मौके पर भी 8

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

बीघा 13 बिस्वा भूमि उपलब्ध होने एवं तहसीलदार लालसोट की रिर्पोट दिनांक 30.11.2017 के मुताबिक खसरा नम्बर 179 कुल रकबा 99 बीघा 14 बिस्वा में से 91 बीघा 1 बिस्वा भूमि 41 आवंटियों को आवंटित हुई और शेष भूमि 8 बीघा 13 बिस्वा सिवायचक भूमि रिकार्ड व मौके पर विद्यमान है। प्रकरण में यदि प्रार्थीगण की 1 बीघा भूमि पडौस के खसरा नम्बर में मिल जाती है तो न्यायालय प्रकरण में अधिक भूमि को प्रार्थीगण को देने पर विचार कर सकता है। प्रकरण में अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने का भार प्रार्थीगण का था। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असमर्थ रहने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

7. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्रम बाढकल्याणपुरा की जमाबन्दी संवत 2063–2066 व खतौनी संवत 2071–74 के अनुसार खसरा नम्बर 297/179 रकबा 5 बीघा दर्ज है, लेकिन उक्त खसरा नम्बर के राजस्व नक्शे में जो तरमीम हो रही है उसकी रकबा बरारी करने पर लगभग 4 बीघा भूमि ही बनना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2017 जो उपखण्ड अधिकारी लालसोट को प्रेषित की गई है, में भी खसरा नम्बर 297/179 रकबा 5 बीघा की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड सीताराम पुत्र रतन लाल हिस्सा 36/100, फूलमती पत्नी हनुमान प्रसाद, अनिता पत्नी अजय हिस्सा 64/100 के नाम दर्ज होना तथा उक्त खसरा नम्बर का रकबा जमाबन्दी में 5 बीघा दर्ज होना एवं राजस्व नक्शे में तरमीम के रकबा बरारी करने पर लगभग 4 बीघा बनना तथा जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित माना है। इसके पश्चात् तहसीलदार ने पत्र क्रमांकः 30.11.2017 से उप खण्ड अधिकारी लालसोट को भू अभिलेख निरीक्षक से कराई गई जॉच रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 179 का कुल रकबा 99 बीघा 14 बिस्वा में से 41 आवंटियों को 91 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवंटित होने पर शेष 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि राजकीय सिवायचक रही है। कुल 41 आवंटियों में से नक्शा सीट में कुल 14 तरमीम ही हो रही है शेष तरमीम नहीं हो रही है। खसरा नम्बर 297/179 के पश्चिमी दिशा में कोई तरमीम नहीं हो रही है। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 विवादित भूमि के संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार होने से कब्जे एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार नक्शे तरमीम कराना चाहते हैं। हम समझते हैं कि राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 179 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा के छोडते हुये 5 बीघा भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने के संबंध में तहसीलदार लालसोट की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.10.2017 को मध्य नजर रखते हुये अपीलान्ट्स को साक्ष्य व सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 179 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा के छोडते हुये 5 बीघा भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने के संबंध में तहसीलदार लालसोट की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.10.2017 को मध्य नजर रखते हुये उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट्स को साक्ष्य व सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner